बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....
5/(स0) अपील (एस0एस0राज)–14/2014

दिनांक,.....

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री एस0,एस0 राज,
श्री राकेश कुमार सिंह,
राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 14/2014 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री एस0,एस0 राज, सीतामढ़ी बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4999 दिनांक 02/11/16

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

31/X/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 14/2014

सर्वश्री एस0 एस0 राज, सीतामढ़ी

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स एस0 एस0 राज, सीतामढ़ी द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 466 दिनांक 10.03.14 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

2– अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2007 में 5400 वर्गफीट भूमि स्टील एवं उडेन फर्नीचर उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि अपने पिताजी के कैंसर रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण उनकी इकाई में उत्पादन समय पर प्रारम्भ नहीं हो पाया। उनका कहना है कि, उनकी जमीन में बरसात के तीन–चार महीने जल जमाव रहने के कारण कार्य नहीं हो पाता है। बाकी के महीनों में खुले में उनके द्वारा लकड़ी के फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जाता है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराया है तथा मशीन इत्यादि भी स्थापित किया है। उनके द्वारा बियाडा के किस्तों का भुगतान कर दिया जायेग।

3– बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पत्रांक 2685 दिनांक 18.12.07 द्वारा 5400 वर्गफीट प्लॉट नं0– बी0–3(पी0) सीतामढ़ी में इकाई को भूमि आवंटित किया गया। बियाडा के पत्रांक 2513 दिनांक 22.12.11 द्वारा एक मुश्त निपटारा योजना 2011 के अन्तर्गत सूदमुक्त ऋण मद में देय राशि की गणना कर रु0 1,24,855/– जमा करने हेतु इकाई को कहा गया । बियाडा के पत्रांक 1373 दिनांक 06.08.12, पत्रांक 502 दिनांक 03.04.13 द्वारा आवंटित भू–खण्ड पर निर्माण कार्य एवं अद्यतन बकाया राशि 1,19,410/– रु0 भुगतान करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। बियाडा के पत्रांक 1950 दिनांक 26.08.13, पत्रांक 2039 दिनांक 11.09.13, पत्रांक 2262 दिनांक 09.10.13 एवं पत्रांक 2290 दिनांक 21.10.13 द्वारा एकग्जिट पॉलिसी की जानकारी दी गई एवं बकाया राशि जमा करने तथा इकाई में उत्पादन कार्य आरम्भ करने हेतु निदेशित किया गया। दिनांक 11.12.13 को सहायक विकास पदाधिकारी एवं दिनांक 20.01.14 को क्षेत्रीय प्रभारी सीतामढ़ी को निरीक्षण के क्रम में इकाई में कोई भी उत्पादन/निर्माण कार्य नजर नहीं आया। इकाई के गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया। बियाडा के आदेश ज्ञापांक 466 दिनांक 10.03.14 द्वारा इकाई को लम्बी अवधि से किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि के अभाव एवं इकाई पर बकाया राशि 1,14,410/– के भुगतान नहीं करने के आलोक में आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया।

4– वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2007 में भू–खण्ड उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था एवं अब तक इकाई द्वारा कोई भी औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई है। इकाई द्वारा कार्य करने का कोई ठोस प्रमाण/कागजात भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। बकाया राशि भुगतान के लिए भी उद्यमी द्वारा कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किए गए है, जबकि बियाडा भुगतान हेतु कई बार नोटिस निर्गत किया गया है। टुकड़ों में काफी कम राशि का भुगतान किया गया है, जो इकाई को रद्दीकरण से बचाने का प्रयास मात्र प्रतीत होता है। बियाडा के show cause Notice का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक नहीं है और उनका मकसद केवल आवंटित भूमि पर दूसरे उद्देश्य के लिए कब्जा बनाए रखने का है। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

24/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

24/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।